क्रमांक 62/9/94-6 जी0एस0 I

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला, रोहतक, हिसार, तथा गुड़गावां मण्डल । सभी उपायुक्त तथा उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा ।

दिनांक चण्डीगढ, 29 जून, 1994 ।

विषय :---सामान्य निर्वाचन और उप निर्वाचन-मन्त्रियों के दौरे और सरकारी वाहनों के संबंध में अनुदेश ।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषय पर भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त पत्र क्रमांक 437/6/93-पी0एस0-II 5209, दिनांक 31-12-93 की एक प्रति हिन्दी रूपान्तर की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ भेजूं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये अनुदेशों की दृढ़ता से अनुपालना की जाए ।

2. ये हिदायतें आपके अधीन सभी सम्बन्धित कर्मचारियों के ध्यान में भी अनुपालना हेतु ला दी जाये ।

भवदीय,
हस्ता0/
अवर सचिव सामान्य प्रशासन-I
कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

एक प्रति अनुलग्नक की प्रति सहित सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

हस्ता0/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन-I,
कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी वित्तायुक्त/आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 62/9/94-6 जी0एस0 1, दिनांक 29 जून, 1994 ।

एक प्रति आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, निर्वाचन विभाग को उनके अशा0 क्रमांक 4/5/94-2 निर्वाचन, दिनांक 25-5-94 के सन्दर्भ में सूचनार्थ भेजी जाती है ।

हस्ता0/-
अवर सचिव, सामान्य प्रशासन-I,
कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
निर्वाचन विभाग ।

अशा0 क्रमांक 62/9/94-6 जी0एस0 I, दिनांक 29 जून, 1994

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड़,
नई दिल्ली–1,
तारीख : 31 दिसम्बर, 1993

सं0 437/6/93-योजना–2

सेवा में

1. मंत्री मंडल सचिव,
मंत्री मंडल सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली ।

2. सचिव, भारत सरकार,
गृह मंत्रालय,
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।

3. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

4. सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।

विषय :—सामान्य निर्वाचन और उप निर्वाचन मंत्रियों के दौरे और सरकारी वाहनों के सम्बन्ध में अनुदेश ।

महोदय,

मुझे यह निदेश हुआ है कि सामान्य और उप-निर्वाचनों के दौरान आयोग ने नवम्बर, 1993 में हुए हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभाओं के लिए हाल ही में समाप्त हुए सामान्य निर्वाचनों के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने के हित में और प्रशासन की ओर से पूर्णतः ईमानदारी बरतने के लिए सरकारी वायुयान, सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों के वाहनो के प्रयोग के बारे में अनुदेशों का और विस्तार करने उसे कार्यान्वित करने तथा उस पर बल देने का निर्णय लिया है और निम्नलिखित अनुदेश जारी किये हैं ।

2. आयोग ने निर्वाचनों के दौरान चुनाव प्रचार करने, निर्वाचन के काम से दौड़ धूप करने या निर्वाचन सम्बन्धी कार्य के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग करने पर पूर्णतः रोक लगाने की बात को दोहराया है और इस विषय के सभी अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए यह निदेश दिया है कि (1) केन्द्रीय सरकार (2) राज्य सरकार (3) केन्द्र और राज्य सरकार के उपक्रमों, केन्द्र और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, निगमों, नगर पालिकाओं, विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों, स्वायत जिला परिषदों या अन्य किसी निकाए जिनमें सरकारी धन, चाहे कुल का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो के हेलिकाप्टरों, वायुयानों, कारों, जीपों, किसी प्रकार के मोटर, बोट, होवरक्राफ्टों आदि । राजनैतिक दल, उम्मीदवार या निर्वाचन से सम्बन्धित अन्य किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबन्ध हो गया ऐसे किसी भी प्राधिकारी के किसी भी वाहन के किसी के भी द्वारा उपयोग, चाहे वह केन्द्र अथवा राज्य सरकार का मंत्री हो और चाहे वह चुनाव प्रचार अथवा चुनाव सम्बन्धी दौरों के लिए भुगतान अथवा, अपने मंत्री होने की हैसियत से सरकारी दौरा होने के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर हो, किए जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है और यह आदर्श आचरण संहिता का तथा सरकारी और स्थानीय निकायों आदि वाहनों के प्रयोग पर लगी रोक पर आयोग के अनुदेशों का भारी उल्लंघन माना जायेगा ।

3. केवल प्रधानमंत्री के मामले में अपवाद होगा जो उन सुरक्षा अनुदेशों द्वारा, जो अन्य सभी बातों से परे है के द्वारा अधिशासित है।

4. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, केन्द्रीय और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों, निगमों, नगर पालिकाओं, विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों, स्वायत जिला परिषदों या अन्य कोई निकाय जिनमें सरकारी धन, चाहे कुल का छोटा सा अंश उपयुक्त पैरा 2 में बताए गए के अनुसार लगाया गया था के व उपर्युक्त वाहन निर्वाचन प्राधिकारियों द्वारा मांग करने पर सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध

5. इन अनुदेशों के प्रयोजन के लिए "वाहन" का अर्थ और उसमें यह शामिल होगा, परिवहन के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कोई भी वाहन या प्रयुक्त होने के लिए समर्थ चाहे वह यान्त्रिक या अन्य शक्ति से चलते हों और उसमें ट्रक, लारी टैम्पों, जीपों, कारों, आटोरिक्सा, बस, वायुयान, हैलीकाप्टर, पोत, बोट, होवरक्राफ्ट और सभी तथा (1) केन्द्रीय सरकार (2) राज्य सरकार (3) केन्द्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों (4) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों (5) स्थानीय निकायों (6) नगर निगमों (7) नगरपालिकाओं (8) विपणन बोर्डों, (चाहे किसी भी नाम से) (9) सरकारी समितियों (10) स्वायत जिला परिषदों या अन्य बोर्ड निकाय के अन्य कोई वाहन जिनमें सरकारी धन, चाहे वह कुल का छोटा सा अंश निवेश किया जाता है और रक्षा मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय पुलिस संगठन और राज्य सरकारों के वाहन शामिल होगा।

6. प्रतिबन्ध अनुदेशों के लागू करने में कोई भी सन्देह होने पर लिखित आदेश के लिए मामला आयोग को भेजा जाना चाहिए।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि वाहनों के प्रयोग पर लगे प्रतिबन्ध उन राज्यों में या राज्यों से आये वाहनों पर भी लागू होगा जहां मतदान नहीं हो रहे लेकिन उनके वाहनों का अन्य किसी राज्यों के मतदान में प्रचार के लिए या तो खुले आम या गुप्त रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव अपने राज्य में किसी वाहन के दुरूपयोग को रोकने के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा और सम्बन्धित विभाग के भारत सरकार के सचिव उस मंत्रालय/विभाग के अधीन किसी वाहन के किसी प्रकार के दुरूपयोग के लिए और उस मंत्रालय/विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र या संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत निकायों या सम्बन्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के वाहनों के दुरूपयोग के लिए स्वयं जिम्मेवार होगा। वे अधिकारी भी जिनके पास ऐसे वाहनों का प्रभार होता है, समान रूप से किसी प्रकार के उल्लघंन के लिए जिम्मेवार होगा।

8. आयोग ने यह भी निदेश दिया है कि प्रैस में निर्वाचनों की घोषणा होने की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक मंत्रियों/गैर सरकारी अध्यक्ष/सरकारी निकायों के निदेशकों को जिला/निर्वाचन क्षेत्र में दौरे के लिए सरकारी परिवहन उपलब्ध नहीं कराये जायें या उन्हें राज्य का मेहमान न माना जाए। यदि सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है तो उनसे सामान्य दरों पर पूरा प्रभार लिया जाए।

(I) मंत्रियों/गैर सरकारी अध्यक्ष/सरकारी निकायों के निदेशकों को निर्वाचनों के दौरान जिले का दौरा करने के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग करने या सरकारी खर्चे पर मनोरंजन करने पर प्रतिबन्ध है।

(II) मंत्रियों/गैर सरकारी अध्यक्ष/सरकारी निकायों के निदेशक जिले का दौरा करते हुए जिला स्तर पर अधिकारियों की कोई बैठक नहीं बुलाएंगे।

(III) मंत्रियों/गैर सरकारी अध्यक्ष/सरकारी निकायों के निदेशक जो स्वयं अभ्यर्थी हैं सरकार के भुगतान पर रखे गए कर्मचारियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दौरे पर ले जाने के लिए प्रतिबन्धित है।

6. आयोग के उपर्युक्त निदेश संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों के अधीन जारी किया गया है और इसे आयोग के स्थायी अनुदेश के रूप में माना जाए।

10. ये सभी सम्बन्धितों के ध्यान में लाना चाहिए और अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में जारी अनुदेशों की एक प्रति आयोग को पृष्ठांकित अवश्य ही करें।

11. कृपया प्राप्ति सूचना भेजें।

भवदीय,

हस्ता/-

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,
New Delhi—110001.

No. 437/6/93-PS-II/5209 Dated the 31st December, 1993.

To

1. The Cabinet Secretary,
Cabinet Secretariat,
Rashtarpati Bhawan,
New Delhi.

2. The Secretary to the Government
of India,
Ministry of Home Affairs,
North Block, New Delhi.

3. The Chief Electoral Officers of
all States and Union Territories.

4. The Chief Secretaries of all
States and Union Territories.

Subject :—**General Elections and Bye-elections—Instructions in connection with the visite of Ministers and the use of official vehicles.**

Sir,

I am directed to state that in the interests of free and fair elections and the observance of obsolute rectitude on the part of the Administration during the general elections and bye-elections, the Commission, on the basis of the experience gained during the recently-concluded general elections to the Legislative Assemblies of Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Mi2oram, Rajasthan, Uttar Pradesh and National Capital Territory of Delhi held in November, 1993, has decided to further amplify, implement and enforce the instructions regarding use of official aircrafts, vehicles belonging to the Government, Public Undertakings, Local Bodies and has issued the following instructions.

2. The Commission reiterates the total and absolute ban on the use of official vehicles for compaigning, electioneering or election related travel during elections and directs that, in superseasion of all instructions on the subject, there will be a total prohibition on the use of any vehicles such as helicopters, aircrafts, cars, jeeps, any automobile, boat, hovercrafts etc. belonging to the (1) Central Government, (2) State Government, (3) Public Undertakings of the Central and State Government, Joint Sector Undertaking of Central and State Government, Local Bodies, Corporations, Municipalities, Marketing Boards, Cooperatives Societies, Autonomous District Councils or any other body in which public funds, howsoever shall a portion of the total, are invested, for any purpose connected which the elections by any political party, candidate or any other person connected with the election. The use of such vehicles belonging to any of these authorities by any one including Ministers of the Central or a State Government even on payment for campaigning or on tours connected with elections but with the alleved and bogusly certified purpose of official work in their capacity as Ministers is totally prohibited and will be a gross violation of the Model Code of Conduct and also the instructions of the Commission on the prohibition of use of vehicles belonging to Gobernment and Local Bodies etc.

3. The only exception will be in the case of the Prime Minister who is governed by security instructions which will override all other consideration.

4. Nothing in the foregoing paragraphs shall be treated as an excuse or a pretex for not making available vehicles as aforementioned belonging to the Central Government, State Government, Public Undertakings of the Central Goverment and State Government, Joint Sector Undertakings of the Central & State Government, Local Bodies, Corporations, Muncipalities, Marketing Boards, Cooperative Societies, Autonomous District Councils or any other body in which public funds, howsoever a small a portion of the total, invested as detailed in

5. For the purpose of these instructions, 'vehicle' means, and shall include, any vehicle used or capable of being used for the purpose of transport, whether propelled by mechanical power or otherwise and will include trucks, lorries, tempos, jeeps, cars, auto-rickshwas, buses, aircrafts, helicopters, ships, boats, hovercrafts and all and any other vehicles belonging to the (1) Central Government, (2) State Government, (3) Public Undertaking of the Central and State Government, (4) Joint Sector Undertakings of Central Government & State Government (5) Local Bodies, (6) Muncipal Corporations, (7) Muncipalities, (8) Marketing Boards, (by whatever name known), (9) Cooperative Societies, (10) Autonomous District Councils or any other body in which public funds howsoever small a portion of the total are invested and also belonging to the Ministry of Defence and the Central Police Organisation under the Ministry of Home Affairs and State Governments.

6. In case of any doubt regarding the application of the ban instructions, the matter should be referred to the Commission for written orders.

7. It is clarified that the ban on the use of vehicles will equally apply to the vehicles in or from any States not going to the polls but whose vehicles are attempted to be used for campaign either openly or clandestinely in any other States going to poll. The Chief Secretary of each State/Union Territory will be personally responsible for preventing misuse of any vehicle within his State and the Secretary to the Government of India in the concerned Department will be personally responsible for any misuse of any vehicle under that Ministry/Department and also belonging to any of the public sector or joint Sector Undertakings or Autonomous Bodies or attached and subordinate offices under that Ministry/Department. The officers under which charge such vehicles are entrusted will also be equally responsible for any violation.

8. The Commission has further directed that from the date of press announcement of elections to the date of completion of election :—

(i) Ministers/non official Chairmen/Directors of Government Bodies visiting a district/ constituency should not be provided with official transport or declared as State Guests. If Government accommodation is provided, they should be charged at full normal rates ;

(ii) Ministers/non official Chairmen/Directors of Government Bodies are prohibited from using Government vehicles to visit a district or entertain at Government expenses during the period of elections ;

(iii) Ministers/non official Chairmen/Directors of Government Bodies visiting a district should not convene any meeting of officers at district level ;

(iv) Ministers/non official Chairmen/Directors of Government Bodies who are also candidates, are prohibited from taking their staff who are paid by the Government, on tour to their constituencies.

9. The above directions of the Commission are issued under the powers conferred on it by Article 324 of the Constitution and all other powers enabling it in that behalf and should be treated as standing instructions of the Commission.

10. These should be brought to the notice of all concerned and a copy of the instructions issued as a follow up may be endorsed to the Commission without fail.

11. Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Sd/-

(K. P. G. KUTTY)
Secretary